राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2400/2023

चंदीराम जसवानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.09.2023
आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री अश्विनी कुमार जैमन, राजकीय अधिवक्ता/केविएटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी हाल उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामलात, जयपुर के पद पर बहाल कर पदस्थापित किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1991 में प्रवर्तन निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग में हुई थी और वर्ष 2012 में अपीलार्थी को प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई तथा दिनांक 03.09.2013 के द्वारा अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है और वर्तमान में उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के पद पर कार्यरत था। आदेश दिनांक 26.09.2013 के द्वारा राजस्थान कार्य विधि संशोधन करते हुए खाद्य नागरिक उपभोक्ता मामलात विभाग के दो विभाग में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता मामलात विभाग में विभाजित किया गया। अपीलार्थी को उपभोक्ता मामले

विभाग में वर्ष 2014 में पदस्थापन किया गया और अधिसूचना दिनांक 24.07.2015 के द्वारा विधिक माप विज्ञान का कार्य उपभोक्ता मामलात विभाग में आमलित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.07.2023 के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को निलंबित किया और मुख्यालय जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा रखा गया। आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.2023 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया, जो विधि विरूद्ध है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सेवा के अधिकारियों के निलंबन हेतु कार्मिक विभाग के साथ–साथ आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा निलंबन आदेश जारी किए जा सकेंगे। उक्त परिपत्र के बिंदु संख्या 2 में यह भी अंकित है कि निलंबन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलंबन की पुष्टि का प्रकरण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा और पुष्टि 15 दिवस में किसी कारण से नहीं की गई तो उसका समुचित कारण अंकित कर प्रस्ताव 15 दिवस के भीतर ही प्रेषित किए जाऐंगे। बिंदु संख्या 3 में यह भी अंकित है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा निलंबन आदेश की पुष्टि के उपरांत 45 दिवस के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाऐंगे। जबकि अपीलार्थी के निलंबन आदेश की पुष्टि आज दिनांक तक नहीं कराई गई, जो नियमानुसार कराया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.09.2023 को कार्मिक विभाग से सूचना चाही थी, जिसके क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 06.09.2023 को स्पष्ट सूचना अपीलार्थी को दी कि इस आशय का प्रस्ताव विभाग को आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त परिपत्रानुसार अपीलार्थी का निलंबन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि कार्मिक विभाग ने आलोच्य ज्ञापन/आरोप पत्र दिनांक 14.08.2023 जो नियम, 1958 के नियम 16 के तहत जारी किया गया था जिसे अपीलार्थी की सीमा तक आदेश दिनांक 10.10.2023 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किए गए आरोप पत्र को निरस्त किया जा चुका है। चूंकि उक्त आरोप पत्र प्रत्यर्थी विभाग के असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1912/2015

एसएलपी संख्या 31761/2013 अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/ Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension."*

इस प्रकार उक्त सिद्धांत के अनुसार तीन माह के अंदर चार्जशीट विभाग द्वारा दी जानी चाहिए, परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध सर्वप्रथम असक्षम अधिकारी द्वारा चार्जशीट जारी की गई और तदुपरांत उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निरस्त भी कर दी गई और आज दिनांक तक अपीलार्थी को कोई चार्जशीट जारी नहीं की गई, जो उक्त प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 विधि, नियमों एवं परिपत्रों के विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि माननीय अधिकरण द्वारा भी तीन माह के अंदर आरोप पत्र नहीं दिए जाने पर निलंबन आदेश की क्रियान्विति पर स्थगन आदेश पारित किए हैं।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी हाल उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामलात, जयपुर के पद पर बहाल कर पदस्थापित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि आदेश दिनांक 13.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का निलंबन आदेश जारी किया गया और दिनांक 14.08.2023 को एक माह में आरोप पत्र भी जारी किया गया। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव भी राज्य सेवा अधिकारी का निलंबन आदेश जारी कर सकता है और 45 दिवस के अंदर वह प्रस्ताव दे सकेगा। निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 शासन सचिव द्वारा ही जारी किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। आरोप पत्र दिनांक 14.08.2023 जो नियम 16 के अंतर्गत जारी किया गया है। अपीलार्थी का यह तथ्य गलत है कि कार्मिक विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र भी अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोप पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा ही निश्चित अवधि में जारी किया गया है। आदेश दिनांक 13.07.2023 द्वारा कार्मिक

विभाग को अपीलार्थी के निलंबन के बारे में सूचित किया गया था और आदेश दिनांक 20.07.2023 के द्वारा मामले को पुनः आवश्यक कार्यवाही एवं अनुमोदन हेतु कार्मिक विभाग को भेजा गया तथा पत्र दिनांक 18.09.2023 के द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग को भेजा गया। इस प्रकार आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता एवं विधि विरूद्धता प्रकट नहीं होती है और उक्त आलोच्य आदेश नियमानुसार ही प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामलता विभाग, जयपुर में कार्यरत है, जो राज्य सेवा का अधिकारी है। अधिसूचना दिनांक 24.07.2015 के द्वारा विधिक माप विज्ञान का कार्य उपभोक्ता मामलात विभाग में आमलित किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.07.2023 के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को निलंबित किया और मुख्यालय जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा रखा गया।

<u>विचारणीय बिंदु</u> :–

1. अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 के द्वारा असक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित किया जाना,
2. 15 दिवस में निलंबन की पुष्टि निश्चित समयावधि में नहीं किया जाना,
3. ज्ञापन/आरोप पत्र निरस्त किया जाना,
4. परिपत्र 2002 के अनुसार आरोप पत्र परिशिष्ठ–स के आधार पर नहीं दिया जाना।
5. 90 दिवस के अंदर चार्जशीट अपीलार्थी को नहीं दिया जाना।

आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किया गया है। जबकि अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है और कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के बिंदु संख्या 1 के अनुसार *''राज्य*

सेवा के अधिकारियों के निलंबन हेतु कार्मिक विभाग के साथ–साथ आवश्यक परिस्थिति अनुसार प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा ही निलंबन आदेश जारी किए जा सकेंगे।'' इस प्रकार उक्त आलोच्य निलंबन आदेश परिपत्र के नियमानुरूप उचित रूप से जारी नहीं किया जाना प्रकट होता है।

जहां तक अपीलार्थी के निलंबन की पुष्टि 15 दिवस में नहीं किए जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया और तदुपरान्त अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निलंबन की पुष्टि के बारे में चाही गई सूचना के आधार पर कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 06.09.2023 को यह सूचना उपलब्ध करवाई गई कि उक्त निलंबन के बारे में इस आशय का प्रस्ताव विभाग को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के बिंदु संख्या 2 व 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

''उक्त निलंबन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलंबन की पुष्टि का कारण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो तो इसका समुचित कारण अंकित करते हुए निलंबन की पुष्टि के प्रस्ताव आवश्यक रूप से 15 दिवस के भीतर ही प्रेषित किए जाऐंगे।''

''प्रशासनिक विभाग द्वारा निलंबन आदेश की पुष्टि के पश्चात् 45 दिवस के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाऐंगे।''

कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2023 जो शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग (क–3/जांच) द्वारा जारी जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि श्री चंदीराम जसवानी के विरूद्ध प्रशासनिक विभाग निलंबन आदेशों की पुष्टि विभागीय आदेश दिनांक 10.10.2023 द्वारा की गई है तथा अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कार्मिक विभाग से विभाग द्वारा भेजे गए चार्जशीट प्रस्ताव व कार्मिक विभाग द्वारा किया गया अनुमोदन के बारे में सूचना मांगी गई, जिसके क्रम में कार्मिक विभाग ने ''सूचना शून्य है'', बताया। इससे स्पष्ट है कि निलंबन आदेश जारी होने की तिथी से 15 दिवस के भीतर

कार्मिक विभाग द्वारा उक्त निलंबन आदेश की पुष्टि हो जानी चाहिए थी, परंतु निर्धारित समयावधि में पुष्टि न होना उक्त परिपत्र के विरूद्ध है।

जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध ज्ञापन/आरोप पत्र दिनांक 14.08.2023 को जारी किया गया था, जिसे कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2023 के द्वारा निरस्त किए जाने का प्रश्न है, कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र/आदेश दिनांक 10.10.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया ज्ञापन/आरोप पत्र दिनांक 14.08.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया गया है और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध वर्तमान मामले के संबंध में कोई आरोप पत्र जीवित नहीं है। अतः बिना आरोप पत्र जारी किए लम्बे समय तक निलंबित किया जाना विधि एवं नियमों के विपरीत है।

जहां तक परिपत्र 2002 के अनुसार आरोप पत्र परिशिष्ठ स के आधार पर जारी नहीं किए जाने का प्रश्न है, आरोप पत्र दिनांक 14.08.2023 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आरोप पत्र/ज्ञापन अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किया गया है। जबकि अपीलार्थी राजपत्रित अधिकारी है और नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है और उक्त आरोप पत्र/ज्ञापन विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो नियम के विरूद्ध है।

जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 जारी होने के तीन माह के भीतर आरोप पत्र जारी नहीं किए जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1912/2015 एसएलपी संख्या 31761/2013 अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/ Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension."*

इस प्रकार उक्त प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार तीन माह के अंदर चार्जशीट कारण सहित विभाग द्वारा दी जानी चाहिए, परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध सर्वप्रथम असक्षम अधिकारी द्वारा चार्जशीट जारी की गई और तदुपरांत उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निरस्त भी कर दी गई और आज दिनांक तक अपीलार्थी को कोई

चार्जशीट जारी नहीं की गई, जो उक्त प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत है। इस प्रकार हमारे मत में उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को निलंबित रखा जाना विधि एवं नियमों के विपरीत प्रकट होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किए हुए लगभग तीन माह (90 दिवस) से अधिक होने उपरांत भी न तो अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है और न ही आरोप पत्र कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। जबकि उक्त परिपत्र के अनुसार 45 दिवस के भीतर आरोप पत्र प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जाना आवश्यक है। अपीलार्थी के विरूद्ध जो आरोप पत्र/ज्ञापन दिनांक 14.08.2023 जारी किया गया है, वह कार्मिक विभाग द्वारा पत्र दिनांक 10.10.2023 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है और इस प्रकार वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आरोप पत्र/ज्ञापन जारी नहीं किया गया, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 के क्रम में नियमानुसार एवं निश्चित समयावधि में समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने के फलस्वरूप आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 13.07.2023 अपास्त फरमाया जाता है। अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था एवं समस्त वेतन आदि का लाभ भी नियमानुसार प्रदान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य